

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
क्रमांक :- प.3(1)साप्र/2/2014 पार्ट
जयपुर, दिनांक 30 JUN 2014
—: आदेश :—

श्री काशीराम, वरिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 128/2009 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2020 है के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 3(1) साप्र/2/2012 दिनांक 14.5.2012 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या गा/69, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या गा/87 गांधीनगर जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर परिवर्तन होने से एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पति/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन की तिथि से 8 दिवस में आवंटित आवास का कब्जा स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजेश जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलकटर, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिंविठ०/जन स्वाठनिंविठ०/जयपुर विठ०निंगम लिठ०/गांधीनगर जयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. श्री काशीराम, वरिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित आवास संख्या ३०/८७ गांधीनगर, जयपुर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास ३०/६९, गांधीनगर रिक्त कर सूचित करावें।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
15. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
16. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

५२१७
(मुन्नालाल शर्मा) ३०/८१५

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र / 2 / 14

जयपुर, दिनांक : 30 JUN 2014

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 17(1)साप्र / 2 / 2014 दिनांक 26.5.2014 के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिनका निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण निम्नांकित कर्मचारियों को आवंटित किए गए आवासों का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है:—

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि
1	95 / 09	श्री रामकुमार बोराण तहसील राजस्व लेखाकार तहसीलदार तहसील—जयपुर	4 / 36, गांधीनगर (4 / 114, गांधीनगर से परिवर्तन)	30.6.2031
2	136 / 09	श्री राजाराम मीणा कनिष्ठ अनुदेशक प्रभारी अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर, जयपुर	4 / 68 (4 / 139 गांधीनगर से परिवर्तन)	30.6.2031
3	73 / 2010	श्री नानग राम मीणा वाहन चालक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	4 / 94, गांधीनगर	31.8.2018
4	74 / 2010	श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा सहायक सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि० विभाग, नगर उप खण्ड X उत्तर, अजमेरी गेट, जयपुर	4 / 123, गांधीनगर	31.7.2024
5	78 / 2010	श्री रविन्द्र कुमार माथुर कनिष्ठ लिपिक निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	4 / 83, गांधीनगर	30.9.2025
6	79 / 2010	श्री प्रसोद कुमार गुप्ता कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	4 / 100, गांधीनगर	30.11.2039
7	80 / 2010	श्री महिपाल सिंह वाहन चालक नियंत्रक, राजस्थान रेट्रो स्टोर मोटर गैरेज, जयपुर	4 / 110, गांधीनगर	30.6.2037
8	81 / 2010	श्री असरार अहमद वरिष्ठ लिपिक उपनिदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर	4 / 140, गांधीनगर	28.2.2031
9	179 / 2010	श्री मदन लाल मेघवाल वरिष्ठ लिपिक मंत्री मण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 115, गांधीनगर	31.7.2033


राज्यपाल की आज्ञा से

मुन्नालाल शर्मा 26/6/14
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- संभागीय आयुक्त, जयपुर।
- जिला कलवटर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
- निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
- निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
- नियंत्रक, राजस्थान रेट्रो स्टोर मोटर गैरेज, जयपुर।
- आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
- उपनिदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।

10. तहसीलदार, तहसील—जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर, जयपुर (राज.)।
12. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड—10 (उत्तर), अजमेरी गेट, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
15. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।
16. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—3) विभाग, शासन सचिवालय—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिवी/जन स्वास्थ्य अभियोगी/जयपुर विविधनिगम लिली, गौधीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें।
19. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
20. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव